By- Dr. Shailesh Kumar
dept. of economics
Raja Singh College Siwan

Paper IV
Sub- economics

आरोही कर एवं अवरोही कर के अर्थ :-
(Meaning of progressive taxe & Regressive taxes)

आरोही कर (Progressive taxes)

जब किसी कर में बढ़ोतरी होने पर उसकी सीमान्त दर बढ़ जाए, तो इसे आरोही अथवा वर्धमान कर की संज्ञा दी जाती है। बहुधा आयकर जैसे प्रगामी, करों में एक निश्चित सीमा तक की आय को कर मुक्त रखने के उपरान्त शेष आय को स्लैबों में बाँट दिया जाता है और उनपर बढ़ती सीमांत दर से कर लगाया जाता है जिससे अधिक आय वाले करदाता की कर देयता परिशुद्ध मात्रा के साथ-साथ करारोपित आय के अनुपात के रूप में भी बढ़ जाती है।

आरोही कर का एक उपवर्ग वह है जिसमें कर देयता में वृद्धि की दर आय में वृद्धि की दर से कम हो, परन्तु कर की औसत और सीमान्त दरें तथा सकल परिशुद्ध कर देयता में आय बढ़ने के साथ-साथ वृद्धि होती रहे। इस उपवर्ग का एक उदाहरण यह है कि जिसमें प्रारंभिक छूट के पश्चात शेष सकल आय पर एक ही दर से कर लगाया जाए।

पक्ष में तर्क

(1) प्रगामी दरें आय पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने के कारण करदाताओं द्वारा उपयोगिता परित्याग की संयुक्त मात्रा को घटाने में सहायक होती है।

(2) प्रो० लर्नर ने अपनी पुस्तक economics of control में दर्शाया है कि चाहे व्यक्तिगत स्तर पर करदाताओं की आय उपयोगिता सारणियाँ अमापीय हो असमान हो तथा उनकी जानकारी भी न हो, तो भी यदि आय वितरण की असमानता में कमी लाई जाए तो समाज की संयुक्त आय उपयोगिता में बढ़ोतरी होने की संभावना से अधिक होती है।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

(3) हित प्राप्ति सिद्धान्त के अनुसार करों की दरें प्रगामी नहीं होनी चाहिए पर: इस सिद्धान्त को अपनाने का अर्थ यह निकलता है कि सरकार लोक कल्याण की नीतियों को त्याग दें। यह नीति अधिकतर देशों को स्वीकार्य नहीं होती।

(4) लोक कल्याण के आयाम को अनदेखा करते हुए तथा हित प्राप्ति के सिद्धान्त को अपनाने पर भी प्रगामी दरों का औचित्य बना रहता है।

(5) दावा किया जाता है कि वर्द्धमान दरों के न होने से आय के वितरणीय असमानता बढ़ती जाती है। और ढाँचा विकृत हो जाता है।

(6) आरोही कर प्रणाली से आर्थिक स्थिरता लाने अर्थात व्यापार चक्रों को रोकने में सहायक होती है।

(7) प्रगामी कर प्रणाली तुलनात्मक रूप से प्रशासन के लिए भी अधिक सुविधाजनक है।

(2) अवरोही कर (Regressive taxes)

इस मामले में कराधार में वृद्धि के साथ-साथ कर की सीमांत दर (तथा इस कारण औसत दर) में कमी होती जाती है। परंतु कर देयता की कुल परिशुद्ध राशि में कमी होना आवश्यक नहीं है, इसमें वृथा बढ़ोतरी ही होती जाती है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपर्युक्त वर्गीकरण में करों के केवल मौद्रिक आघात पर विचार किया जाता है इसमें उसके वास्तविक भार अथवा बोझ अथवा किसी प्रकार के अन्य प्रभावों का कोई स्थान नहीं है।

अवरोही कर के पक्ष में तर्क :-

(1) आनुपातिक, प्रगामी तथा पश्चगामी तीनों प्रकार की कर प्रणालियों के पक्ष में सक्षम तर्क उपलब्ध हैं।

(2) इनमें से पश्चगामी कर प्रणाली के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क सबसे अधिक अयथार्थ और भ्रामक हैं।

(3) सभी तर्कों वितर्कों पर विचारोपरान्त हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि —

P.T.O.

आरोही कर प्रणाली ही सर्वोत्तम है।

(4) यह लोक कल्याण, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, सरकार की प्रशासनिक क्षमता आदि के आधार पर भी स्वीकार्य है; परन्तु इसके कार्यान्वयन में भी विशेष प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(5) पश्चगामी वृत्ति वाले परोक्ष करों को राजस्व तथा आर्थिक नियंत्रण हेतु अपनाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

Scanned by CamScanner